विधवा पुत्री / तलाकशुदा पुत्री - पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में

363

राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

विषय :– विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में उपलब्ध प्रावधान एवं ओ.एम दिनांक 28.04.2011 में जारी स्पष्टीकरण के मध्यनजर विधवा पुत्री/तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी यदि विधवा पुत्री की स्थिति में उसके पति की मृत्यु/तलाकशुदा पुत्री की स्थिति में तलाक सरकारी कार्मिक/पेंशनर या उसके जीवनसाथी के जीवित रहने के समय ही हो गया हो।

वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 321200656 दिनांक 05.12.2012 एवं आईडी संख्या 592400047 दिनांक 18.03.2024 के कम में यह स्पष्ट किया जाता है कि विधवा पुत्री/तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी यदि विधवा पुत्री की स्थिति में उसके पति की मृत्यु तथा तलाकशुदा पुत्री की स्थिति में तलाक सरकारी कार्मिक/पेंशनर या उसके जीवनसाथी के जीवित रहने के समय ही हो गया हो एवं वह उन पर आश्रित हो। कार्मिक की सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि इन पुत्रियों की पारिवारिक पेंशन की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 321200656 दिनांक 05.12.2012 द्वारा वित्त(पेंशन) विभाग की पत्रावली संख्या प.10(66)वित्त/राजस्व/2010 पार्ट–I पर पूर्व में दिए गए मार्गदर्शन के क्रम में जो प्रकरण पूर्व में निर्णित हो चुके है, उन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा।

यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(एस.जेड. शाहिद)
O/c संयुक्त शासन सचिव

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (पेंशन) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : प. 12(2)वित्त/नियम/2014 पार्ट
जयपुर, दिनांकः 26 JUN 2024

Room No. 5211, Second Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227868 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail dsfrules@rajasthan.gov.in